निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)
प्रकरण संख्या 22/2021 (रसद अपील)

मैसर्सजगदीश प्रसाद प्रजापत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सानकोटडा, उपखण्ड जमवारामगढ, (पोस कोड14180) जरिये प्राधिकार पत्र धारक जगदीश प्रसाद प्रजापत पुत्र स्व॰ श्री भगवान सहाय प्रजापत जाति प्रजापत निवासी ग्राम सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सानकोटडा उपखण्ड जमवारामगढ (पोस कोड 14180) का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमा दिया ।

उपस्थित :–

1. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.11.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स जगदीश प्रसाद प्रजापत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सानकोटडा, उपखण्ड जमवारामगढ, (पोस कोड14180) प्राधिकार पत्र धारक जगदीश प्रसाद प्रजापत पुत्र स्व॰ श्री भगवान सहाय जाति प्रजापत निवासी ग्राम सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 12.07.2021 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सानकोटडा, उपखण्ड जमवारामगढ, (पोस कोड14180) का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976

जिला कलक्टर
जयपुर

कहा गया है) के प्रावधानों के तहत वर्ष 1990 से प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। पिछले 30 वर्षो से अपीलार्थी के विरूद्व कभी कोई शिकायत अथवा परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया । जिससे साबित है कि अपीलार्थी द्वारा लगन एवं ईमानदारी से उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जाता रहा है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.04.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 7 अनियमितताए बताई गई एवं प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 10.04.2020 को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें निम्न अनियमितताए बताई गई–(1) वक्त निरीक्षण आप दुकान पर उपस्थित नहीं मिले तथा दुकान बंद पाई गई। आपको बुला कर दुकान खुलवा कर निरीक्षण किया गया। (2) दुकान पर मूल्य एवं सूचना पट्ट का प्रदर्शन नहीं पाया गया तथा निर्धारित टेलीफोन नम्बरों का प्रदर्शन भी दुकान के बाहर नहीं पाया गया । (3) दुकान के खुलने तथा बंद होने के समय का प्रदर्शन नहीं पाया गया तथा दुकान खोलने के दिवसों का प्रदर्शन नहीं पाया गया । (4) दुकान का प्रमाणित नक्शा मौके पर नहीं पाया गया । (5) विभागीय निर्देशों के बावजूद आप द्वारा घर घर जा कर राशन सामग्री का वितरण नही किया गया । मासिक मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया । खाद्य सुरक्षा योजना में चयिनत परिवारों की सूची दुकान के बाहर प्रदर्शित नहीं पाई गई। (6) पोस मशीन में दर्ज ए पी एल गेहूं का स्टॉक भौतिक सत्यापन पर 1550 किलोग्राम कम पाया गया। (7) पोश मीशीन में दर्ज चीनी का स्टॉक 2338 था, जो भौतिक सत्यापन पर शून्य पाया गया। उक्त नोटिस दिनांक 10.04.2020 प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जबाब दिनांक 19.05.2020 को प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिसमें उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार जबाब प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र जारी रखा जावे। अपीलार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 14.12.2020 को प्रत्यर्थी द्वारा एक आदेश अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अस्थाई रूप से बहाल किया जाकर निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी पूर्व की भाति राशन सामग्री का उठाव कर नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण करें एवं प्रवर्तन अधिकारी को भी आदेश दिये गये कि समय समय पर डीलर का निरीक्षण कर कठोरता से सुनिश्चित किया जावे कि राशन वितरण में कोई अनियमितता नहीं हो। आदेश दिनांक 14.12.2020 की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार राशन सामग्री का उठाव किया जाकर पूर्व की भांति नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता रहा है। प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 19.05.2020 को सही रूप से विवेचित

जिला कलक्टर जयपुर

किये बिना ही आक्षेपित आदेश दिनांक 12.07.2020 जारी किया है जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्व दर्ज प्रकरण का अवलोकन कर अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 12.07.2020 के द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं समस्त धरोहर राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार की गई है। अनियमितता संख्या (एक) वक्त निरीक्षण आप दुकान पर उपस्थित नहीं मिले तथा दुकान बंद पाई गई। आपको बुला कर दुकान खुलवा कर निरीक्षण किया गया, के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दोपहर 1.30 बजे किया गया था, जिस समय अपीलार्थी दोपहर भोजन का समय होने के कारण भोजन करने के लिए अपने घर पर गया हुआ था एवं बुलाने पर तुरन्त उनके समक्ष दुकान पर उपस्थित हो गया था। इससे स्पष्ट है कि अपीलाार्थी दुकान पर ही उपस्थित था एवं भोजन अवकाश के लिए घर पर गया था। इस प्रकार यह आारोप अपीलार्थी के विरूद्व संधारणीय नही है। अनियमितता संख्या दो, दुकान पर मूल्य एवं सूचना पट्ट का प्रदर्शन नहीं पाया गया तथा निर्धारित टेलीफोन नम्बरों का प्रदर्शन भी दुकान के बाहर नहीं पाया गया। आरोप संख्या तीन, दुकान के खुलने तथा बंद होने के समय का प्रदर्शन नहीं पाया गया तथा दुकान खोलने के दिवसों का प्रदर्शन नहीं पाया गया, के सम्बन्ध में निवेदन है कि दुकान के बाहर स्थाई रूप से दीवार पर सीमेन्ट का ब्लैक बोर्ड बनवा रखा है जिस पर चौक द्वारा सूचनाओं को नियमित रूप से प्रदर्शित किया जाता है, परन्तु दूकान मैन रास्ते एवं आबादी में होने के कारण बच्चों द्वारा खेलते समय नोटिस बोर्ड को साफ कर दिया गया । प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस बाबत अडौस पडौस से जानकारी नहीं की गई। आरोप संख्या चार, दुकान का प्रमाणित नक्शा मौके पर नहीं पाया गया, के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी के मकान में दिनांक 09.02.2020 को बिजली के शॉट सर्किट होने के कारण आग लग गयी थी। जिससे मकान में रखा सम्पूर्ण घरेलू सामान व अन्य दस्तावेजात आदि जल कर राख हो गये। इसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2020 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना आंधी में दर्ज कराई गई। उक्त घटना में दुकान का प्रमाणित नक्शा भी जल कर नष्ट हो गया जिसकी वजह से प्रमाणित नक्शा मौके पर मौजूद नही था। आरोप संख्या पांच, विभागीय निर्देशों के बावजूद आपने द्वारा घर घर जाकर राशन सामग्री का वितरण नही किया गया । मासिक मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया । खाद्य सुरक्षा योजना में चयिनत परिवारों की सूची दुकान के बाहर प्रदर्शित नहीं पाई गई, के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में समय समय पर नियमानुसार राशन सामग्री व अन्य सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को किया गया है, जिसके कारण ही ग्राम पंचायत सानकोटडा के किसी भी उपभोक्ता द्वारा पिछले 30 वर्षो में अपीलार्थी के विरूद्व कभी कोई शिकायत नही की गई । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सनकोटडा द्वारा एक प्रमाण पत्र अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया है जिससे स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है, कि अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार समय समय पर राशन सामग्री का वितरण नियमित किया जाता रहा है। आरोप संख्या छ, पोश मशीन में दर्ज ए पी एल गेहूं का स्टॉक भौतिक सत्यापन पर 1550 किलोग्राम कम पाया गया, के

जिला कलक्टर
जयपुर

सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त आक्षेपित कम स्टॉक जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार सीताराम कुमावत डीलर खरखडा को सम्भला दिया गया है। जिसकी प्राप्ति रसीद भी जबाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर दी गई थी। जिससे स्पष्ट है कि अपलार्थी द्वारा स्टॉक में कोई कमी नही की गई थी। आरोप संख्या सात, पोश मशीन में दर्ज चीनी का स्टॉक 2338 किलोग्राम था जो भौतिक सत्यापन पर शून्य पाया गया, के सम्बन्ध में निवेदन है कि पोस मशीन में चीनी 2338 किलो चीनी दर्ज जिसकी जांच जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई और उन्होंने स्वयं माना है कि उक्त सूचना भूलवश अधिक चढी हुई है, जबकि चीनी का वितरण नियमानुसार किया गया है। प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.07.2020 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकर पत्र निरस्त किया गया है जबकि आक्षेपित आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन करने से ही यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश स्पिकींग आर्डर नही है एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पारित नहीं किया गया है, जिसके आरण आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी द्वारा जारी नोटिस दिनांक 10.04.2020 में उल्लेखित अनियमितताओं का जबाब अपीलार्थी द्वारा समुचित रूप से सही तथ्यों के आधार पर पेश किया गय है, परन्तु प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब पर समग्र गौर एवं विवेचन किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक, मूल्य, वितरण की मात्रा दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा शिकायत हेतु निर्धारित टैलीफोन नम्बरों का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया गया । इसके अतिरिक्त वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन करने पर खाद्य सुरक्षा का 1550 किलो गेहूं व 2338 किलो चीनी कम पाई गई । डीलर द्वारा अपने जबाब में स्वयं स्वीकार किया गया है कि गेहूं बाजार से कय कर अस्थाई डीलर को सिपुर्द किया गया । इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो एवं सपठित कन्ट्रोल आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. निरीक्षण फर्द पर — प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं अपीलार्थी डीलर के ही हस्ताक्षर है। निरीक्षण फर्द पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर नही है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि निरीक्षण फर्द स्वतंत्र गहवान की उपस्थिति में नही बनाई गई है। इसलिए अनियमितता संख्या 1, 2 व 3 की पुष्टि नहीं की जा सकती । अनियमितता संख्या चार, दुकान का प्रमाणित नक्शा मौके पर नहीं पाये जाने का कारण दिनांक 09.02.2020 को मकान में लगी आग में जल जाना बताया है, जिसकी पुलिस थाना आंधी में दिनांक 10.02.2020 को एफ आई आर दर्ज है। अनियमितता संख्या पांच, घर घर जाकर सामान वितरण नहीं करने बाबत निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा किसी उपभोक्ता के बयान आदि नहीं लिये गये है। इस सम्बन्ध में किसी उपभोक्ता/ राशनकार्ड धारक से पूछताछ करने का निरीक्षण प्रतिवदेन में उल्लेख भी नहीं है। अनियमितता संख्या छ, पोश मशीन में ए पी एल गेहू का स्टॉक भौतिक सत्यापन पर 1550 किलो कम बताया गया है, परन्तु अस्थाई डीलर सीताराम कुमावत से पोश मशीन 14180 व गेहूं 29.69 किलो ग्राम की प्राप्ति रसीद अपीलार्थी डीलर ने प्रस्तुत की है। अनियमितता संख्या सात, चीनी का स्टॉक 2338 किग्रा था जो भौतिक सत्यापन पर शून्य बताया है। जिसे अपीलार्थी ने भूलवश गलत चढना बताया है। इस बाबत समीक्षात्मक टिप्पणीकर्ता अधिकारी ने के वी एस एस एवं निगम से आवक की रिपोर्ट मंगवाया जाना प्रस्तावित किया था, किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जानकारी के वी एस एस या निगम से नहीं ली गई। इसलिए मामले को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रतिप्रेषित किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.07.2021 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

15/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर